

(b) The demand was not accepted.

**Archaeological Investigations in
Central Asian States**

*1197. SHRI R. K. SINHA : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether Government have any plans for undertaking archaeological investigations in the Central Asian States ;

(b) if so, whether the concerned Governments have been approached ; and

(c) their reactions thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : (a) The Archaeological Survey of India is investigating the possibility of undertaking archaeological excavations at some prospective sites in Iran, Afghanistan and Soviet Central Asia.

(b) and (c). The Archaeological Survey of India has informally approached the Director Generals of Archaeology in Iran and Afghanistan as also the Chairman of the Soviet Committee on the Study of Civilization of Central Asia and Director of the Institute of Asia, Academy of Sciences of the U.S.S.R. Reactions of the parties addressed are awaited.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

*1198. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री ब्रिजिबाबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में अपना लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दी को कब तक परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की

परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं को अपनाये जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रिजिबाबू शुक्ल) : (क) से (ग). संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने के निर्णय को बाद में अंग्रेजी के अनिश्चित संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को माध्यम के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए लागू करने के निर्णय में बदल दिया गया था। अक्टूबर, 1969 में होने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में निबन्ध और सामान्य ज्ञान के पत्रों के उत्तर अंग्रेजी या संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक में, जिनमें हिन्दी भी शामिल है, दिये जा सकते हैं। 1964 से 'निबन्ध' और 'सामान्य ज्ञान' के पत्रों के लिए असिस्टेंट ग्रेड और निम्न श्रेणी लिपिक की परीक्षाओं के लिए हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने की भी आज्ञा दी जा चुकी है।

आशा की जाती है कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 1969 में होने वाले अनुभव से आगे चल कर आयोग क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरे विषयों के भी पत्रों के उत्तर लिखने की आज्ञा दे देगा। इस समय यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि यह कब तक किया जा सकेगा।

**Arrangements Made During P. M.'s
Election Tours**

*1199. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether his attention has been